न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश वर्मा (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 23/2018

(आर सी एम एस नम्बरः– 2018/00026)

उनवान प्रकरण

1–श्रीमती रामबेटी उम्र करीव 58 वर्ष पत्नी स्व0 श्री घूरे ।
2–हरीचन्द्र उम्र करीव 36 वर्ष पुत्र स्व0 श्री घूरे । जातिगण जाटव
3–पूरन उम्र करीव 34 वर्ष पुत्र स्व0 श्री घूरे ।
4–सत्यप्रकाश उम्र करीव 30 वर्ष पुत्र स्व0 श्री घूरे । निवासी ग्राम चितौरा
5–हरीकिशन उम्र करीव 28 वर्ष पुत्र स्व0 श्री घूरे । तहसील सैपऊ
6–शशीकपूर उम्र करीव 23 वर्ष पुत्र स्व0 श्री घूरे । जिला धौलपुर राज0

.....अपीलान्टस

बनाम

1–राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर
2–मुस0 रामदुलारी उम्र करीव 60 वर्ष पुत्र श्री पैमा पत्नी श्री वेदीराम
3–मुस0 मलोदा उम्र करीव 55 वर्ष पुत्री श्री पैमा पत्नी श्री रामचरन
जतिगण जाटव निवासी ग्राम निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 522 आदेश दिनांक 13.06.1989 राजस्व कैम्प चितौरा व नामान्तरण संख्या 712 दिनांक 22.6.1999 द्वारा तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्टस की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 2 लगा0 3 की ओर से :– .....

अति0 जिला कलक्टर धौलपुर

निर्णय दिनांक : 16.01.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 922 रकवा 1 वीधा 15 विस्वा, 923 रकवा 1 वीधा 9 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 03 बीधा 04 विस्वा बांके ग्राम चितोरा तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार

Scanned by CamScanner

घूरिया व पैमा के पिता स्व0 श्री छिददा थे उनके निधन के बाद उक्त आराजी पर विरासतन उनके पुत्र घूरिया पर वहिस्सा 1/2 व पैमा के बारिसान उनकी पुत्रीयां रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 रामदुलारी व मलोदा पर वहिस्सा 1/2 बराबर बराबर के जरिये नामान्तकरण संख्या 240 दिनांक 30.6.1981 प्रकान्त हुई है और तभी से अपीलार्थी व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है और इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1087 रकवा 1 वीधा 19 विस्वा, 1091 रकवा 1 वीधा 17 विस्वा, 1092 रकवा 2 वीधा 5 विस्वा कुल किता 03 कुल रकवा 06 वीधा 01 विस्वा बांके ग्राम चितौरा तहसील सैपऊ के खातेदार कास्तकार केबल मात्र अपीलार्थी संख्या 1 के ससुर व अपीलार्थी संख्या 2 लगा04 के बाबा स्व0 श्री धूरिया थे जो उनके निधन के बाद उक्त आराजी बिरासतन अपीलार्थी संख्या 1 के पति घूरे व उसकी सास सिमरो अपीलार्थी संख्या 2 लगा0 4 के पिता घूरे व उनकी दादी सिमरो पर वहिस्सा बराबर बराबर प्रकान्त हुई है किन्तु तहसीलदार सैपऊ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से साठ गांठ करके व स्व0 धूरिया के सही वारिसानों की जांच किये बिना उक्त नामान्तरण संख्या 522 दिनांक 13.6.1989 राजस्व कैम्प चितौरा में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को अपीलार्थी संख्या–1 की सास सिमरो अपीलार्थी संख्या 2 लगा04 की दादी को सिमरो बेबा घूरिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की मॉ बताकर रेंस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने उक्त आराजी में अपने आपको को 3/4 भाग का व अपीलार्थीगण को 1/4 भाग का राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करा दिया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का उक्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं है क्योकि नामान्तकरण संख्या 240 में स्व0 पैमा की बिरासत का सही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जिसमें रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को गोदा पत्नी पैमा के नाम से सही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है एंव आराजी खसरा नम्बर 922, 923 में नामान्तकरण संख्या 712 से जब अपीलार्थीगण की बिरासत का नामान्तकरण किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने तहसीलदार सैपऊ से सांठ–गांठ करके उसमें भी अपीलार्थीगण के हिस्सा 1/2 के हिस्से के बजाय 1/4 भाग पर व अपने आपको 7/8 भाग का गलत अंकन करा लिया है जो कि अपीलार्थीगण के हक व अधिकार के मुकावले शून्य व निस्प्रभावी इन्द्रांज है। नामान्तकरण संख्या 522 व 712 से असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि तहसीलदार सैपऊ ने नामान्तकरण संख्या 522 व 712 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में गलत हिस्से का अंकन कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये है जो विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के बिपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जब रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 रामदुलारी व मलोदा स्व0 श्री घूरिया पुत्र छिददा व घूरे पुत्र घूरिया की वारिस ही नहीं है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का स्व0 श्री घूरिया पुत्र छिददा व घूरे पुत्र धूरिया द्वारा छोडी गई आराजी में हिस्सा निहित कैसे हो सकता है फिर भी तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने अधिकारों के बिपरीत जाकर नामान्तकरण संख्या 522 व 712 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक करने में कानूनी भूल की है जो कि अपीलार्थीगण के हक अधिकार के मुकाबले शून्य व निश्प्रभावी है जो कि स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। वैसे तो उक्त अपील को प्रस्तुत करने में अपीलार्थी द्वारा कोई देरी नहीं की गई है यदि फिर भी कोई देरी हुई है तो उसके लिये प्रा0पत्र

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

धारा–5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा दिनांक 5.9.1988 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किये नामान्तकरण संख्या 522 बावत आराजी खसरा नम्बर 1087, 1091, 1092 बांके ग्राम चितौरा तहसील सैपऊ में वहिस्सा 3/4 भाग पर अंकित कर दिया है जिसे निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण का नाम सम्पूर्ण हिस्सा पर दर्ज किया जावे और आराजी खसरा नम्बर 922, 923 बांके ग्राम चितौरा तहसील सैपऊ में अपीलार्थीगण के हिस्सा 1/2 के बजाय 1/8 भाग अंकित कर दिया है उसे निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण का नाम उक्त आराजी में 1/8 भाग के बजाय 1/2 भाग पर दर्ज किये जाने आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 302 सम्बत 2070 से 2073 ग्राम चितौरा, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 303 सम्बत 2070 से 2073 ग्राम चितौरा, नकल नामान्तकरण संख्या 522, नकल नामान्तकरण संख्या 240, नकल नामान्तकरण संख्या 712 एवं सिजरा प्रमाण पत्र स्व0 छिददा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत चितौरा तहसील सैपऊ पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 व 3 रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किये गये बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 24.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 राजकीय अभिभाषक सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार सैपऊ ने नामान्तकरण संख्या 522 व 712 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में गलत हिस्से का अंकन कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये है जो विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के बिपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जब रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 रामदुलारी व मलोदा स्व0 श्री घूरिया पुत्र छिददा व घूरे पुत्र घूरिया की वारिस ही नहीं है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का स्व0 श्री घूरिया पुत्र छिददा व घूरे पुत्र धूरिया द्वारा छोडी गई आराजी में हिस्सा निहित कैसे हो सकता है फिर भी तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने अधिकारों के बिपरीत जाकर नामान्तकरण संख्या 522 व 712 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक करने में कानूनी भूल की है जो कि अपीलार्थीगण के हक अधिकार के मुकाबले शून्य व निश्प्रभावी है जो कि स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। वैसे तो उक्त अपील को प्रस्तुत करने में अपीलार्थी द्वारा कोई देरी नहीं की गई है यदि फिर भी कोई देरी हुई है तो उसके लिये प्रा0पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा दिनांक 5.9.1988 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किये नामान्तकरण संख्या 522 बावत आराजी खसरा नम्बर 1087, 1091, 1092 बांके ग्राम चितौरा तहसील सैपऊ में वहिस्सा 3/4 भाग पर अंकित

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

कर दिया है जिसे निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण का नाम सम्पूर्ण हिस्सा पर दर्ज किया जावे और आराजी खसरा नम्बर 922, 923 बांके ग्राम चितौरा तहसील सैपऊ में अपीलार्थीगण के हिस्सा 1/2 के बजाय 1/8 भाग अंकित कर दिया है उसे निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण का नाम उक्त आराजी में 1/8 भाग के बजाय 1/2 भाग पर दर्ज किये जाने आदेश फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि अपीलान्टस द्वारा एक ही अपील में एक साथ दो नामान्तकरण आदेशों को चेलेन्ज किया है जबकि प्रथक प्रथक आदेश के बिरूद्व प्रथक प्रथक अपील पेश की जानी चाहिऐ। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 522 दिनांक 13.6.1989 एवं नामान्तकरण संख्या 712 दिनांक 22.6.1999 उक्त दोनो नामान्तकरण म्याद वाहर है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिसिकल प्रौसीडिग्स है जिसमें स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। अपील, अपीलान्टस खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्टस द्वारा एक ही अपील में एक साथ दो नामान्तकरण आदेशों को चेलेन्ज किया है जबकि प्रथक प्रथक आदेश के बिरूद्व प्रथक प्रथक अपील पेश की जानी चाहिऐ। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 522 एवं 712 म्याद बाहर है। नामान्तकरण संख्या 522 दिनांक 13.06.1989 की अपील 25.07.2018 को अर्थात 29 वर्ष पश्चात एवं नामान्तकरण संख्या 712 दिनांक 22.06.1999 की अपील दिनांक 25.07.2018 को अर्थात 19 वर्ष पश्चात की गई है। इतनी अवधि बाद नामान्तकरण परिवर्तन से जटिलताऐं एंव वादकरण की बहुलता उत्पन्न होंगी। नामान्तकरण वित्तीय कार्यवाही है इसके माध्यम से अधिकारों का सृजन नहीं होता। अपीलान्टस नियमित वाद से राहत प्राप्त कर सकते है। प्रश्नगत नामान्तकरण आदेश में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं पाते। अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner